सराहनीय कार्य
इटावा पुलिस

प्रेस नोट- दिनांक 31.05.2024

षडयन्त्र रचकर स्वयं को गोली मारने वाले अभियुक्त को इटावा पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार, कब्जे से घटना मे प्रयुक्त 01 अवैध तमंचा व 01 खोखा कारतूस 315 बोर किया गया बरामद ।

अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस उप महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार के पर्यवेक्षण में थाना ऊसराहार पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही ।

घटना/गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 29.05.2024 को थाना ऊसराहार पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत भ्रमणशील रहकर संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग की जा रही थी इसी दौरान जरिये आरटी सन्देश सूचना प्राप्त हुयी कि कुदरकोट की तरफ अण्डर पास के पास 01 व्यक्ति को गोली लगी है सूचना पर तत्काल थानाध्यक्ष ऊसराहार द्वारा मय पुलिस बल के मौके पर जाकर घायल को जिला अस्पताल इटावा भर्ती कराया गया एवं घायल व्यक्ति से पूछताछ की गयी तो उसने बताया कि वह पल्सर मोटर साइकिल **(UP 79 AB 1785)** से अपनी बहन के घर ग्राम कुइता सरैया थाना ऊसराहार जा रहा था इसी दौरान जब वह ताखा अण्डर पास से कुदरकोट की तरफ मुडा तो पीछे से आ रही स्कार्पियो कार सवार **04 व्यक्तियों 1. कल्लू पुत्र अतर सिंह 2. धर्मेन्द्र पुत्र अतर सिंह 3. मन्नू तिवारी पुत्र राजेन्द्र सिंह मालिक महिन्द्रा ट्रैक्टर एजेन्सी 4. बाबा** आदि के द्वारा उसके पैर में गोली मार दी गयी ।

पुलिस टीम द्वारा तत्काल घटना में संलिप्त मन्नू तिवारी के पिता राजेन्द्र सिंह से पूछताछ की गयी तो उसने बताया कि वर्ष 2023 में मनोज कुमार पुत्र सुभाष ने 01 महिन्द्रा ट्रैक्टर 07 लाख 40,000/- रूपये में फाइनेन्स कराया था जिसकी 35,000/- की 02 किस्तें मनोज कुमार के द्वारा जमा की गयी थी परन्तु शेष किस्तों का भुगतान न करने पर 06 माह पूर्व मेरी एजेन्सी के द्वारा ट्रैक्टर को एजेन्सी पर खड़ा करा लिया गया था मनोज कुमार के द्वारा इसी रंजिश को लेकर दबाव बनाने के उद्देश्य से यह झूठी घटना घटित की गयी है ।

घायल मनोज कुमार उपरोक्त से ऊसराहार पुलिस द्वारा कड़ाई से पूछताछ की गयी तो उसने घटना को स्वीकार करते हुये कहा कि मुझसे गलती हो गयी है मैने सुनियोजित तरीके से घटना को अंजाम दिया है, क्योंकि महिन्द्रा ट्रैक्टर के मालिक के पुत्र मन्नू तिवारी द्वारा ट्रैक्टर की किस्त न जमा करने पर ट्रैक्टर को एजेन्सी में खडा करा लिया गया था और बताया कि पुरानी रंजिश के कारण मैंने कल्लू व धर्मेन्द्र का नाम लिया था ।

नोटः- अभियुक्त की निशादेही के आधार पर उक्त तमन्चे को ताखा मोड से कुदरकोट रोड पर बंम्बा से नहर में पानी के अन्दर से बरामद किया गया । एवं अभियुक्त मनोज कुमार पुत्र सुभाष चन्द्र को आज दिनांक 29.05.2024 समय 8.30 बजे गिरफ्तार किया गया ।

उक्त गिरफ्तारी बरामदगी एवं के संबंध मे थाना ऊसराहार पर मु0अ0सं0 64/2024 में धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट व धारा 182/195/211/120 बी भादवि थाना ऊसराहार जनपद इटावा पर पंजीकृत किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. **मनोज कुमार जाटव पुत्र सुभाष चन्द्र निवासी नगला बढ़ई थाना कुदरकोट जनपद औरैया उम्र 21 वर्ष ।**

बरामदगीः-

1. **01 अवैध तमंचा 315 बोर ।**
2. **01 खोखा कारतूस 315 बोर ।**

पंजीकृत अभियोगः-

1. **मु0अ0सं0 64/2024 धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट व धारा 182/195/211/120बी भादवि थाना ऊसराहार जनपद इटावा ।**

पुलिस टीम- उ0नि0 श्री बेचन कुमार सिंह थानाध्यक्ष ऊसराहार, उ0नि0 मंगल सिंह, का0 हेमराज, का0 ज्ञानेन्द्र सिंह ।